रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012025-260066
CG-DL-E-09012025-260066

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2025/पौष 18, 1946
No. 147] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2025/PAUSHA 18, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2025

का.आ. 149(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 3 के उप-पैरा (6) के परंतुक और पैरा 5 के खंड (ग) के परंतुक अनुसरण में, यह आवश्यक और समीचीन समझते हुए, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, तमिलनाडु के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि का यथास्थिति,10 अप्रैल, 2025 तक या राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन किए जाने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, विस्तार किया जाता है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 146 (अ), तारीख 11 जनवरी, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,_____

(क) पैरा 2 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष और तीन मास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, "तीन वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "तीन वर्ष और तीन मास" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आईए 3-1/4/2021-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक. का.आ. 146(अ), तारीख 11 जनवरी, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2025

S.O. 149(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the proviso to sub- paragraph (6) of paragraph 3 and proviso to clause (c) of paragraph 5 of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government considering it necessary and expedient, hereby extends the term of the Chairman and Members of the State Level Environment Impact Assessment Authority, Tamil Nadu and the term of the Chairman and Members of the State Level Expert Appraisal Committee, Tamil Nadu for a period up to 10th April, 2025 or till the re-constitution of the State Level Environment Impact Assessment Authority and the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, whichever is earlier, and for that purpose makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change number S.O. 146 (E), dated the 11th January, 2022, namely:-

In the said notification,—

(a) in paragraph 2, for the words *"three years"*, the words *"three years* and *three months"* shall be substituted;

(b) in paragraph 6, for the words *"three years"*, the words *"three years* and *three months"* shall be substituted.

[F. No. IA3-1/4/2021-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

NOTE. — The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 146 (E), dated the 11 January, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.01.09 15:18:14 +05'30'